बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 18.06.2015 को हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के लिए आयोजित सहायक परीक्षा के सम्बन्ध में **बीपीएससी में फेल हुए अभ्यर्थी को किया पास** शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था कि जो अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा भी पास नहीं कर सका, उसका नाम मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची में है। पिछले वर्ष 20 जुलाई को प्रारम्भिक परीक्षा ली गयी थी। सफल उम्मीदवारों में एक अभ्यर्थी, श्री मुकेश कुमार बैठा (अनुसूचित जाति), अनुक्रमांक 327182, भी शामिल था, जिसे 86 अंक मिले थे उसे सफल घोषित कर दिया गया, जबकि अनुसूचित जाति का कट ऑफ अंक 91 था।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त समाचार बिल्कुल निराधार, भ्रामक, तथ्यहीन एवं वास्तविकता से परे है। वास्तविक स्थिति यह है कि दिनांक 13.09.2013 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक के 25 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इन 25 पदों में अनारक्षित के 06 पद, अनुसूचित जाति के 09 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 08 पद एवं पिछड़े वर्ग की महिला के 02 पद शामिल थे। उक्त विज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया था कि उपर्युक्त रिक्तियाँ औपबंधिक हैं, जो घट–बढ़ सकती हैं एवं विकलांग उम्मीदवारों को भी नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। दिनांक 20.07.2014 को सम्पन्न हुई बिहार लोक सेवा आयोग सहायक प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 3792 परीक्षार्थी को सफल घोषित किया गया था, जिसमें अनारक्षित कोटि के कट ऑफ अंक 102, अनुसूचित जाति के कट ऑफ अंक 91, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के कट ऑफ अंक 96, पिछड़े वर्ग की महिला के कट ऑफ अंक 94 तथा विकलांग (3%) का कट ऑफ अंक 86 था।

समाचार पत्र में वर्णित श्री मुकेश कुमार बैठा, अनुक्रमांक 327182, जिन्हें उक्त प्रारम्भिक परीक्षा में 86 अंक प्राप्त हुआ था वे अनुसूचित जाति की कोटि के उम्मीदवार हैं, जो एक विकलांग उम्मीदवार भी हैं तथा उनके द्वारा मूल आवेदन पत्र के साथ विकलांगता का प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है। दिनांक 12.09.2014 को प्रकाशित प्रारम्भिक परीक्षाफल में विकलांग कोटि के लिए निर्धारित कट ऑफ अंक 86 अंक था और श्री बैठा द्वारा 86 अंक प्राप्त करने के कारण विकलांग उम्मीदवार के रूप में उन्हें सफल घोषित किया गया था। बाद में प्रारम्भिक परीक्षा के संशोधित परीक्षाफल में भी विकलांग कोटि का कट ऑफ अंक 85 होने पर उन्हें उक्त कोटि में प्राप्त 86 अंक के आधार पर सफल घोषित किया गया था। श्री बैठा को दिनांक 15.06. 2015 को प्रकाशित सहायक मुख्य प्रतियोगिता पुनर्परीक्षाफल में अनुसूचित जाति (02) कोटि में कट आफ अंक 119 से अधिक अर्थात् 120 अंक प्राप्त होने के कारण चयनित किया गया है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित उम्मीदवार के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में भ्रामक, निराधार, तथ्यहीन, गलत एवं वास्तविकता से परे खबर को प्रकाशित किया गया है, जो सर्वथा अवांछनीय है।

माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार

18/6/2015

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना